सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **नगर निगम "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 एवं नगर निगम रूद्रपुर गजट नोटिस ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2022"** के **"अध्याय 15 विविध"** के तहत नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत **ठोस अपशिष्ट प्रबधंन के लिए इस्तेमालकर्त्ता शुल्क (यूजर चाजी)** का विवरण अनुसूची 01 व जुर्माने का विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है। उक्त अध्याय के अनुरूप इस्तेमालकर्ता को नगर निगम को शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

उक्त उपनियम के अन्तर्गत इस्तेमालकर्ता शुल्क/जुर्माने का भुगतान मॉग जारी होने से 15 दिन के भीतर जमा न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार लगाया जाएगा तथा उसकी वसूली भू–राजस्व की भॉति करने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर का होगा। जोकि इस उपनियम के अध्याय 10,11,12,13 व 14 पर भी लागू है। नगर निगम रूद्रपुर **"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022"** की विस्तृत जानकारी नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

सूचित होवें।

–ह0–
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

–ह0–
जिलाधिकारी/प्रशासक
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक:–1424/स्वा0अनु0/2024–25 दिनांक–31 अगस्त, 2024

प्रतिलिपी–

1 – जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2– मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3– मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4– नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– सम्पादक "अमर उजाला" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08x06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिंक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर